न्यायालय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
सी0बी0आई0 (पश्चिम)लखनऊ।

वाद संख्या–34 / 2018

सी0बी0आई बनाम् अमरजीत आदि

आर0सी0 नं0–26ए / 2014
धारा–120बी सपठित धरा–201, 218, 380, 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं0 व 13(2) सपठित धारा–13(1)(डी) पी0सी0 एक्ट
थाना–सी0बी0आई0 / ए0सी0बी0, लखनऊ।

दिनांक 09.12.2020

पत्रावली आज पेश हुई। सम्बन्धित मामले में सीबीआई के पैरोकार द्वारा यह बताया गया कि राधाकृष्णन और आर0 एस0 प्रजापति के द्वारा जमानत करायी गयी है और शेष अभियुक्तगण अमरजीत और रवि अग्रवाल, भूपेश दूबे, विजय कुमार, मनोज गर्ग, जितेन्द्र गर्ग, राजीव बंसल के द्वारा अभी इस मामले में जमानत नहीं करायी गयी है। एक अन्य अभियुक्त मनोज केबिल लिमिटेड बतौर कंपनी इस मामले में लम्बित है। यद्यपि कि सम्बन्धित मामले में राधाकृष्णन और आर0 एस0 प्रजापति को छोड़कर अन्य अभियुक्तों द्वारा जमानत नहीं करायी गयी है परन्तु उन अभियुक्तगणों के अधिवक्ताओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर भिन्न–भिन्न प्रकरण के प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। सम्बन्धित प्रकरण में सीबीआई द्वारा प्रार्थनापत्र बी–122 प्रस्तुत करते हुए मामले में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगणों द्वारा आपत्तियां दाखिल की जा रही हैं। आज अभियुक्त अमरजीत, भूपेश दूबे की तरफ से आपत्ति प्रस्तुत की गयी है पत्रावली पर रखी जाये। सम्बन्धित मामले में इसके पूर्व में भी अभियुक्तगणों द्वारा बी–122 पर आपत्ति दाखिल की गयी है। सम्बन्धित प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में याचिकायें दाखिल की गयी थीं। धारा अर्न्तगत 482 सीआरपीसी यह आदेश पारित किया गया था कि सम्बन्धित याचिकाओं में पूर्व आदेश को संपरिवर्तित करते हुए उक्त आदेश को याचिका के अंतिम निस्तारण तक विस्तारित किया गया था। उभयपक्षों द्वारा यह भी न्यायालय को सूचित किया गया, कि सम्बन्धित याचिकायें मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं। ऐसे में सीबीआई को निदेर्शित किया जाता है कि लम्बित याचिकाओं के सम्बध में इस न्यायालय को अगली तिथि 11.01.2021 तक अद्यतन स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें व अभियुक्तगण जिनके द्वारा अभी तक जमानत नहीं करायी गयी है वे न्यायालय को यह स्पष्ट करे कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे प्रार्थनापत्र पोषणीय है अथवा नहीं तथा सम्बन्धित पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश बाबत् रोके जाने उत्पीड़नात्मक कार्यवाई आज की तिथि तक वैध है अथवा नहीं, इस बिन्दु पर भी अपना पक्ष स्पष्ट करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि को प्रस्तुत हो।

विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।